133/04 रामपाल - तहसीलदार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15-2-18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र हेतु पेश । विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट रामपाल पुत्र गोपीराम की मृत्यु दिनांक 8-1-2016 को हो गई । जिसके प्रार्थीगण विधिक वारिस है। प्रार्थीगण को उनके पूर्वज द्वारा प्रस्तुत अपील की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही थी इस कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र समय सीमा मे पेश नहीं किया गया । दिनाक 16-1-18 पिछली पेशी को प्रार्थीगण का पडौसी प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत अपील में नियुक्त किये गये अधिवक्ता से किसी अन्य प्रकरण में विधिक राय हेतु मिला तो उन्होने प्रस्तुत अपील के अपीलान्ट को उनसे सम्पर्क करने हेतु कहे जाने पर प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के बारे में वकील साहब को बताया जिस पर अपीलान्ट	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

Web Copy - Not Official

के वकील ने न्यायालय में अपीलान्ट के मृत्यु की सूचना दे दी तथा पडोसी को कहा कि उसके वारिसों को अपील के बारे मे सूचना दे देना। जब पडौसी ने इस अपील के बारे मे बताया तो हम अधिवक्ता से मिले तथा यह प्रार्थना पत्र अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया है । अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट के वारिसान को अपील मे बतौर पक्षकार अपीलान्ट बनाया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने जबाब पेश करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण को प्रस्तुत अपील की शुरू से ही जानकारी थी । प्रस्तुत अपील की पैरवी प्रार्थीगण ही करते आ रहे हैं। किसी पडौसी द्वारा उनके अधिवक्ता से मिलना तथा पडौसी द्वारा अपील के बारे मे बताना सर्वथा गलत एवं बनावटी है ।कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने की समय सीमा 90 दिन है जबकि अपीलान्ट रामपाल की मृत्यु अर्सा करीब 2 वर्ष अर्थात लगभग 730 दिवस से भी अधिक समय पूर्व हो चुकी । प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र सदभाविक कारणो के साथ पेश नहीं किया है तथा दफा-5 में भी कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है ।प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र जानबुझकर अवधि अधिनियम के बाहर पेश किया है ।अपीलान्ट की अपील अबैट हो चुकी है । अत:प्रार्थीगण का प्रार्थना आदेश-22 नियम-3 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील को अबैट किया जाकर खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया ।यह सही है कि अपीलान्ट रामपाल की मृत्यु दिनांक 8-1-2016 को हो गई जो मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है ।अपीलान्ट के वारिसान का यह कथन उचित एवं विधिसगत नही है कि उन्हे उनके पिता द्वारा प्रस्तुत

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	ने अदालत मातहत में दावा दिनांक 14-1-88 को पेश किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण लगभग 30 साल तक चलते समय निकला है जिसका रामपाल के वारिसान को जानकारी नहीं हो यह कथन किसी भी स्तर से स्वीकार योग्य नहीं है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य दर्ज नहीं किया जिससे उस पर विश्वास किया जावे तथा न ही अवधि अधि नियम प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज किया जिससे उस पर कोई सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावे । अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानबूझकर विलम्ब से पेश किया है जिसको स्वीकार किया जाना उचित नहीं मानते हैं । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम -3 सीपीसी अवधि बाहर होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट स्वीकार किया जाकर एआईआर(एससी) 1963 पेज-553 एवं एआईआर-1970(कलकता) पेज-99 के अनुसार अपीलान्ट की अपील अबैट होने पर खारिज की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	